

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 1999 सत्र

विनियोग कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 1999 (आषाढ 23, 1921)

समय 10.30 बजे बिन

## 1. प्रश्नोत्तर

पुथकता: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यक कर मंत्री-

(क) मध्यप्रदेश वाणिज्यक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

- (i) क्रमांक ए-३-३४-९८-विक-पांच-(46), दिनांक 1 मई, 1999,
- (ii) क्रमांक ए-३-९२-९८-विक-पांच-(51), दिनांक 4 मई, 1999,
- (iii) क्रमांक ए-३-१४-९९-विक-पांच (16), दिनांक 31 मार्च, 1999 ; तथा

(ख) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा ३ की उपधारा (2) (बी) की अपेक्षानुसार वाणिज्यक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

- (i) क्रमांक ए-३-१४-९९-विक-पांच (17), दिनांक 31 मार्च, 1999 ; तथा
- (ii) क्रमांक ए-३-८९-९८-विक-पांच (26), दिनांक 20 अप्रैल, 1999

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के संकरण क्रमांक एम ९-१२-९०-४-एक-अ.स.प., दिनांक ६-१-९२ की कंडिका ७ की अपेक्षानुसार मानव अधिकार आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 तथा आयोग की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का जापन पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 136 (1) के अधीन ध्यान आकर्षित

(1) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विधायिकालय के आधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गीड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत वरों में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न विधिका अवधिकार आयोग की ओर उर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री विधान मिश्रा, सदस्य, छत्सीसगढ़ क्षेत्र में आवल की स्वतंत्रता होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री स्वामी प्रसाद लोधी, सदस्य, छतरपुर जिले के अनेक ग्रामों की उद्धव विधायिका योजनायें असफल होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री हरवंश सिंह, सभापति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, छोदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री गनपत लिंग उडके, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिउड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का तेरहवां, छोदहवां तथा पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्रीमती जून औधरी, सभापति, महिलाओं एवं आलकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(4) श्री रणधीर सिंह, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री के.पी. सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि -

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है."

### ६. याचिकाओं की प्रस्तुति

(१) श्रीमती सुशीला देवी ठाकुर, सदस्य, विदेशा जिले के ग्यारसपुर नगर में उप-पञ्जीयक कार्यालय खोले जाने; तथा

(२) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, हर्षवर्धन नगर, भोपाल में सड़कों का डामरीकरण एवं ओढ़हर हैड ट्रैक बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित

समय

३ घन्टे

### ६. शासकीय विधि विधयक लगार्थ

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश हिंदाई प्रबन्धन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, १९९९ (क्रमांक २८ लन् १९९९) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### ७. प्रतिवेदन पर अर्चा

३ घन्टे

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष १९९६-९७ की अनुशस्त्रों के पालन प्रतिवेदन पर अर्चा।

पौक्तल :  
क्रमांक : १३ चूलाहड़, १९९९

के.पी. शिवारी  
वाचिक,  
मध्यप्रदेश विधान सभा।